

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ शिनैर/ 03 /2016-17 दिनांक 06 मई, 2016

**विज्ञापित/नियुक्ति**

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5800/उप्राशिप/एल०टी०मार्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5811 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं०-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल०टी०मार्ती०प०/हिन्दी/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिदीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

**विषय - बंगाली**

(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नमिता सरकार	श्री एस० सरकार	वार्ड नम्बर-5 दिनेशपुर दुर्गा मंदिर वाली गली उधमसिंहनगर	सामान्य	20-Mar-1984	उधमसिंह नगर	बी०ए० बी०ए०बी०	90.50	रा०ड०का० दिनेशपुर उधमसिंहनगर

(श्रीमती सुष्मा सिंह)  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल  
क्रमांक सं० 2

- प्रतिदिनि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 01- सक्रिय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 02- महाविदेशिक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
  - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
  - 04- सक्रिय प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रुड़की हरिद्वार।
  - 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पी.टी।
  - 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (एस) एवं सम्बन्धित वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
  - 07- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
  - 08- सम्बन्धित जिला अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
  - 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जगह।
  - 10- सम्बन्धित संस्थापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में यह नियुक्ति कार्यों को कारगर एवं सफल ढंग से करें-

- (क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की मूखी-भौति जांच कर ली जाए। किसी की अर्हता होने की तलाश में खतम तलाश हो इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराये।
- (ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रतिष्ठित संलग्नक केने) सेवा नियमावली-2014(संशोधित) के निहित प्रावधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय [संशोधित/अर्हता]-अंग्रेजी विषय हेतु भारत में विहित द्वारा उपलब्ध किसी निम्नलिखित से बंगाली साहित्य में जो अनिश्चय जो अनिश्चय एवं तब अनिश्चय, रहा हो, वे साथ-साथ ही जांचके तलाश अभ्यर्थी को कोषाधिकारी-2/पुनः/उक(2)-2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाए।
- (ग)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्वाई निवास के जगह के शासन अधिकारी द्वारा (प्रमाणित कार्यों होने की तलाश में खतम तलाश हो प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (घ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्हता केने को नियमावली अनुसार ही घूट देय होगी।
- (ङ)- निरक्षरता की स्थिति में निरक्षरता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विकलांग की अनिश्चय स्थिति में घूट का होना आवश्यक है।
- (च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजना कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अनिश्चय स्थिति को ध्यान में रखते।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अनिश्चयों का परीक्षण/सत्यापन कराने के उपरान्त कार्यालय ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लीडर की डाक से अयोध्याकरकरी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं \_\_\_\_\_ पद \_\_\_\_\_ विद्यालय \_\_\_\_\_ एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं उपरोक्त सम्बन्धित बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त अनिश्चय दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/शु. \_\_\_\_\_ का \_\_\_\_\_ विषय \_\_\_\_\_ को दिनांक \_\_\_\_\_ के पूर्वोक्त/अपराजक में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

स-संस्थापक  
पूरा नाम  
पद एवं सील

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 07 दिन के भीतर अपने ठेकागी के शासन पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल भौति (जो प्रमाणित कार्यालय सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वाई निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त वरिष्ठ प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजना कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अनिश्चय संस्था द्वारा प्रदत्त वरिष्ठ प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक शैक्षिक प्रति/उत्ती होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1- कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विद्यमान नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2- अर्हता केने के प्रावधानों के अनुसार पद/विषय/अर्हता के मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा वारिष्ठिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल देहरादून।
- 13- कार्यालय आदेश पत्रिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल देहरादून

अनुभव पत्र

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_ सहायक अध्यापक \_\_\_\_\_ विद्यालय \_\_\_\_\_ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नौति का पालन करूंगा/करूगी एवं सारे सम्बन्धितों द्वारा जमा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूगी।

प्रतिहस्ताक्षरित \_\_\_\_\_

संस्थापक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_  
विद्यालय \_\_\_\_\_

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/श्रीवि/ ०१

/2016-17 दिनांक ०६ मई, 2016

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप/एल०टी०भर्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5611 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं०-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल०टी०भ०च०प०/हिन्दी/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय - संस्कृत

(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वसन्त कुमार त्रिपाठी	श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी	आदर्श नगर कालोनी तहसील रोड बागेश्वर	सामान्य	8-Jan-1985	बागेश्वर	एम०ए० बी०ए०	151.25	रा०इ०का० सिरकोट, बागेश्वर
2	हेमन्त जोशी	श्री ख्याली दत्त जोशी	मकान नम्बर-214-ए० बहुगुणा ट्रेडर्स के पीछे बिडला विद्यालय के समीप ग्राम छडावल पोस्ट मानपुर पश्चिम हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	25-Feb-1990	बागेश्वर	एम०ए० बी०ए०	147.00	रा०इ०का० पश्चा, नैनीताल
3	गीतांजली	श्री पूरन चन्द्र जोशी	ग्राम जूनस्टेट नकान नम्बर-26 पोस्ट भीमताल नैनीताल	सामान्य	22-Jun-1992	नैनीताल	बी०ए० बी०ए०	141.25	रा०इ०का० गंगानगर मोतियापाथर अल्मोडा
4	श्रीमती रीतू	श्री सुखवीर सिंह	गली नम्बर-5 मकान नम्बर-6 निकट जुर्स कन्ट्री अपार्टमेंट नयागाँव देवीपुर पोस्ट ज्वालापुर हरिद्वार	अ०पि०व०	10-Nov-1983	हरिद्वार	एम०ए० बी०ए०	133.50	रा०इ०का० पीपली, अल्मोडा

(श्रीमती सुप्रभा सिंह)  
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 04- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार।
  - 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल ढौंडी।
  - 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
  - 07- सम्बन्धित चरित् कोषाधिकारी।
  - 08- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
  - 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
  - 10- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना त्वनिश्चित करें-

- (क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की भली-भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार प्रारंभ करायें।
  - (ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स०अ०एल०टी०-संस्कृत विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अवश्य हो तथा अभ्यर्थी को सी०टी०ई०टी०-2/यू०टी०ई०टी०-2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।
  - (ग)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के अद्यार (पद) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
  - (घ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
  - (ङ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
  - (च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अयोध्या/अयोध्या के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

**प्रमाण पत्र**

मैं पद विद्यालय एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त विन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु/पद को दिनांक के पूर्वाह्न/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

80-संस्थाध्यक्ष  
पूरा नाम  
पद एवं सील

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 07 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, तप/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचारधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चरित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 13- कार्यालय आदेश पत्रिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

**अनुबन्ध पत्र**

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सहायक अध्यापक विद्यालय एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित संस्थाध्यक्ष

हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम  
विद्यालय

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज0/बिनि/ 02 /2016-17 दिनांक 06 मई, 2016

**विज्ञापित / नियुक्ति**

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों तहत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600/उप्राशिप/एल0टी0भर्ती/2014 दिनांक 23-02-2014 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या-5611 दिनांक 25-02-2014 के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं०-सेवा-2/708-11/2016-17 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-7109/उप्राशिप/एल0टी0भ0व0प0/हिन्दी/2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (9300-34800) ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

(महिला शाखा)

**विषय - संस्कृत**

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नुपुर	श्री अशोक कुमार	भरतपुरी पी0सी0डी0 इन्टरप्राइजेज रामनगर, नैनीताल	सामान्य	25-Jun-1982	नैनीताल	एम0ए0 बी0एड0	147.00	रा0क0इ0का0 रानीखेत, अल्मोडा
2	लक्ष्मी	श्री महगु प्रसाद मोर्य	द्वारा-प्रेम प्रकाश वर्मा बागवाला दानपुर उधमसिंहनगर	अ0पि0व0	1-May-1987	उधमसिंह नगर	एम0ए0 बी0एड0	128.00	रा0क0इ0का0 खुर्पाताल, नैनीताल
3	अनामिका	श्री सुभाष वन्दर	गली नम्बर-9 181 सुमन विहार बापूयाम ऋषिकेश देहरादून	अनु0जाति	10-Jun-1984	देहरादून	बी0ए0 बी0एड0	103.25	रा0क0इ0का0 देवायल, अल्मोडा

(श्रीमती सुष्मा सिंह)  
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सचिव प्राथमिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार।
- 05- अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 06- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- सम्बन्धित परिच्छ कोषाधिकारी।
- 08- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 09- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-

- (क)- अभ्यर्थी की अनिवार्य एवं अर्हता के सभी प्रमाण पत्रों की मूली-भौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में सक्षम स्तर से इसकी जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करायें।
  - (ख)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार पद (विषय) से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-संस्कृत विषय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अथवा हो तथा अभ्यर्थी को सी0टी0ई0टी0-2/यू0टी0ई0टी0-2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) के अनुसार कर ली जाय।
  - (ग)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
  - (घ)- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
  - (ङ)- निशक्ता की स्थिति में निशक्ता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
  - (च)- अभ्यर्थी का पंजीकरण/नवीनीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को वैध हो।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोस्तक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। उपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्त/अपरान्त में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

H0-संस्थाध्यक्ष  
पूरा नाम.....  
पद एवं सील.....

- 11- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आवेश निर्गत होने के 07 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचारधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 12- सूचना प्रकाशक कार्यालय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 13- कार्यालय आदेश पत्रिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूगी।

प्रतिदस्तावेजित.....  
संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
विद्यालय.....